# अध्याय - I

## 1.राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

# अध्याय – I

## 1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

### परिचय

**1.1** राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगमें सम्मिलित हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सा0क्षे0उ0 की स्थापना, व्यावसायिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए, की जाती हैं। सितम्बर 2012 तक अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, बिहार में राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने 2011–12 में ₹ 7,811.28 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। यह आवर्त वर्ष 2011–12 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) का 2.98 प्रतिशत था। बिहार राज्य की सा0क्षे0उ0 की अधिकांश गतिविधियाँ विद्युत एवं वित्त क्षेत्र में केन्द्रित हैं। उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने 2011–12 के लिये कुल ₹ 2,619.35 करोड़ की हानि वहन की। 31 मार्च 2012 को उन्होनें 0.18 लाख[1] कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था।

**1.2** निम्न विवरणानुसार 31 मार्च 2012 को कुल 66 सा0क्षे0उ0 में कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

| सा0क्षे0उ0 का प्रकार | कार्यशील सा0क्षे0उ0 | अकार्यशील सा0क्षे0उ0[2] | योग |
|---|---|---|---|
| सरकारी कम्पनियाँ[3] | 22 | 40 | 62 |
| सांविधिक निगमें | 4 | – | 4 |
| **योग** | 26 | 40 | 66 |

**1.3** उपरोक्त 22 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में एक कम्पनी, बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड सम्मिलित है, जिसका समामेलन 26 जुलाई 2010 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन हुआ था।

### लेखापरीक्षा अधिदेश

**1.4** सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसकी प्रदत्त अंशपूँजी का कम–से–कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों के द्वारा धारित हो। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम की धारा 619–बी के अनुसार ऐसी कम्पनी, जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी का 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों, सरकारी कम्पनियों और सरकार/सरकारों, द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारित हो, सरकारी कम्पनी मानी जाती है (मानित सरकारी कम्पनी)।

**1.5** राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है), के लेखाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की

---

[1] 23 सा0क्षे0उ0 के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार।
[2] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 वो हैं जिन्होंने अपने कार्य को बन्द कर दिया है।
[3] 619–बी कम्पनियाँ सहित।

अनुपूरक लेखापरीक्षा भी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

**1.6** सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से अधिशासित होती है। चार सांविधिक निगमों में से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि0रा0प0प0नि0) हेतु सी0ए0जी0 एकल लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य भंडार निगम (बि0रा0भ0नि0) एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम (बि0रा0वि0नि0) की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों एवं सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

## राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

**1.7** 31 मार्च 2012 को, राज्य सा0क्षे0उ0 (मानित सरकारी कम्पनियाँ सहित) में ₹ 12,374.75 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था, जिसका विवरण निम्नवत् है :

(राशिः ₹ करोड़ में)

| सा0क्षे0उ0 के प्रकार | सरकारी कम्पनियाँ | | | सांविधिक निगम | | | कुलयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पूँजी | दीर्घावधि ऋण | योग | पूँजी | दीर्घावधि ऋण | योग | |
| कार्यशील सा0क्षे0उ0 | 264.14 | 991.28 | 1,255.42 | 185.53 | 10,201.85 | 10,387.38 | 11,642.80 |
| अकार्यशील सा0क्षे0उ0 | 183.97 | 547.98 | 731.95 | - | - | - | 731.95 |
| **योग** | **448.11** | **1,539.26** | **1,987.37** | **185.53** | **10,201.85** | **10,387.38** | **12,374.75** |

राज्य सा0क्षे0उ0 में सरकारी निवेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण ***परिशिष्ट–1*** में दिया गया है।

**1.8** 31 मार्च 2012 तक राजकीय सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश का 94.09 प्रतिशत कार्यशील सा0क्षे0उ0 में तथा शेष 5.91 प्रतिशत अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में था। इस कुल निवेश का 5.12 प्रतिशत अंश पूँजी के लिये तथा 94.88 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। यह निवेश 2006–07 के ₹ 8,652.43 करोड़ से 43.02 प्रतिशत बढ़कर 2011–12 में ₹ 12,374.75 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे आलेख में प्रदर्शित है :

**1.9** 31 मार्च 2007 तथा 31 मार्च 2012 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में दी गयी है। विगत छः वर्षों में सा0क्षे0उ0 में निवेश का मुख्य प्रतिबल ऊर्जा क्षेत्र में था, जो राज्य सरकार/केंद्र सरकार/अन्य, द्वारा दिये गये ऋण के कारण 2006–07 के ₹ 7,007.23 करोड़ से 40.44 प्रतिशत से बढकर 2011–12 में ₹ 9,840.87 करोड़ हो गया। तथापि 2006–07 की तुलना में 2011–12 में अन्य क्षेत्रों में निवेश में 158.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्माण क्षेत्र के निवेश में भी आंशिक वृद्धि हुई।

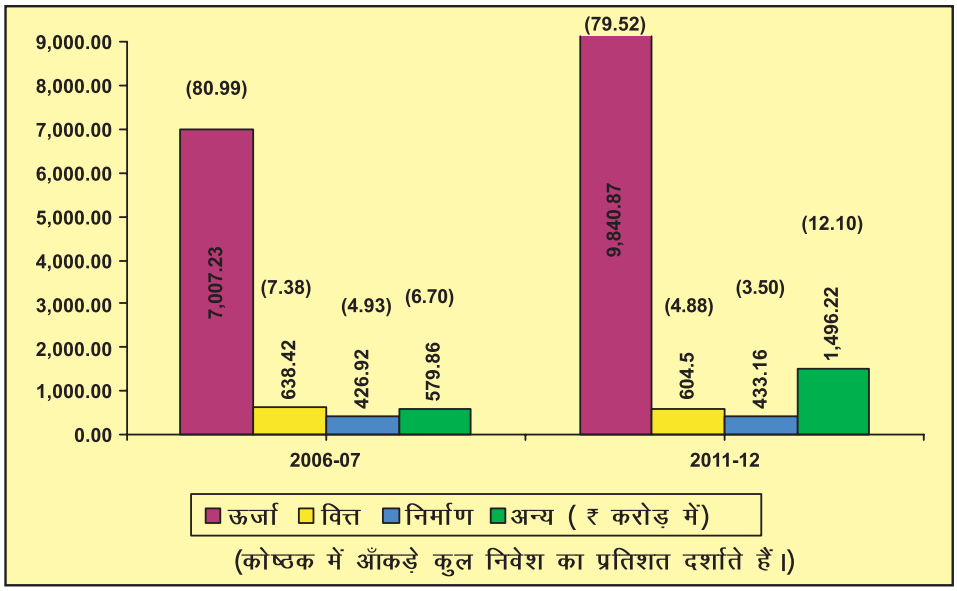


## बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/अर्थसाहाय्य प्रत्याभूति एवं ऋण

**1.10** राज्य सा0क्षे0उ0 के सम्बन्ध में पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थसाहाय्य निर्गत प्रत्याभूतियाँ, अपलिखित ऋणों, ऋणों का पूँजी में परिवर्तन और ब्याज की माफी में बजटीय बहिर्गमन का विवरण ***परिशिष्ट–3*** में दिया गया है। 2011–12 को समाप्त हुए तीन वर्षों का सारांशीकृत विवरण नीचे दिया गया है :-

(राशिः ₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | विवरण | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सा0क्षे0उ0 की संख्या | राशि | सा0क्षे0उ0 की संख्या | राशि | सा0क्षे0उ0 की संख्या | राशि |
| 1. | बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन | 3 | 26.00 | 3 | 41.29 | 2 | 2.00 |
| 2. | बजट से दिये गये ऋण | 3 | 770.36 | 3 | 879.69 | 4 | 1,464.87 |
| 3. | प्राप्त अनुदान/अर्थसाहाय्य | 3 | 873.79 | 3 | 1,103.50 | 1 | 2,120.24 |
| 4. | कुल बहिर्गमन[4] | 8 | 1,670.15 | 7 | 2,024.48 | 6 | 3,587.11 |
| 5. | अपलिखित ब्याज/दांडिक ब्याज | 1 | 0.12 | - | - | - | - |
| 6. | निर्गत प्रत्याभूतियाँ | - | - | 1 | 194.58 | - | - |
| 7. | प्रत्याभूति प्रतिबद्धता | 1 | 44.15 | 1 | 31.85 | 1 | 3.47 |

[4] वर्ष के दौरान कुल बहिर्गमन, अंशों, ऋणों, एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के रुप में कम्पनियों (वास्तविक संख्या) को दिये गये बजटीय समर्थन को दर्शाता है।

**1.11** पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के लिए विगत छः वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है :-

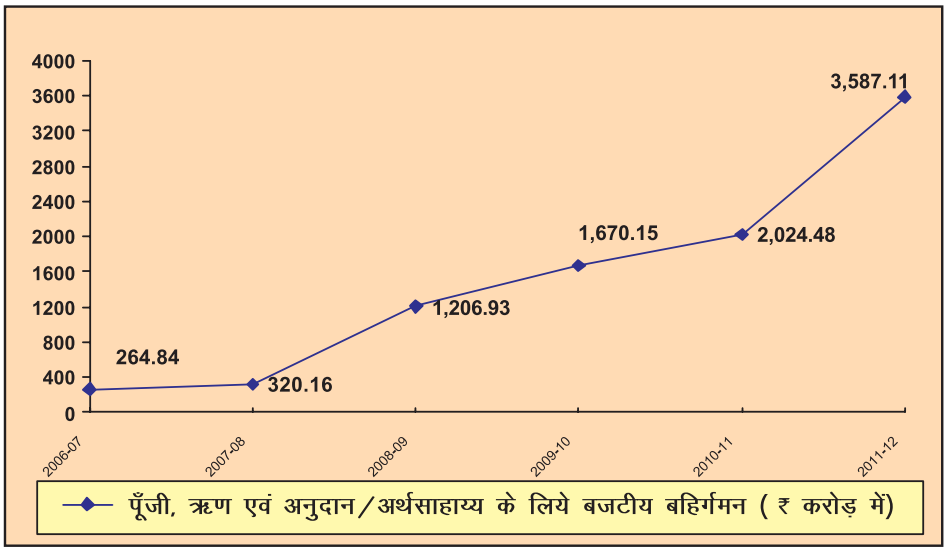


राज्य सरकार द्वारा, अंश पूँजी, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्य के रूप में 2006–07 से 2011–12 के वर्षों में बजटीय समर्थन के विविधतापूर्ण रुख को दर्शाता है। बजटीय समर्थन 2007–08 के ₹ 320.16 करोड़ से बढ़कर 2011–12 में ₹ 3,587.11 करोड़ हो गया। वर्ष 2011–12 की अवधि में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने राज्य सरकार से कुल ₹ 2,120.24 करोड़ (कुल बजटीय समर्थन का 59.11 प्रतिशत) का अर्थसाहाय्य प्राप्त किया। वर्ष के अंत में, चार[5] सा0क्षे0उ0 के विरुद्ध ऋणों की प्रत्याभूतियों के सम्बन्ध में कुल ₹ 249.58 करोड़ बकाया था। बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा बिहार सरकार को वर्ष 1982–83 से ही प्रत्याभूति कमीशन के रूप में ₹ 8.87 लाख देय थे।

## वित्तीय लेखाओं के साथ समाशोधन

**1.12** राज्य सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित सा0क्षे0उ0 एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाशोधन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2012 की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :

**(राशिः ₹ करोड़ में)**

| बकाया | वित्त[6] लेखाओं के अनुसार राशि | सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार राशि | अन्तर |
|---|---|---|---|
| अंश पूँजी | 420.83 | 527.20 | 106.37 |
| ऋण | 15,502.99 | 10,958.28 | 4,544.71 |
| प्रत्याभूतियाँ | 890.07 | 249.58 | 640.49 |

**1.13** प्रधान महालेखाकार द्वारा जाँचोपरांत समाशोधन के विषय को राज्य के मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2011) जिसपर अद्यतन स्मारपत्र दिसम्बर 2012 में प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार को भेजा गया।

---

5 बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

6 ये सूचनाएँ उन 39 सा0क्षे0उ0 के सम्बन्ध मे हैं जिनका उल्लेख राज्य के वित्त लेखाओं मे किया गया है।

तथापि, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार तथा सा0क्षे0उ0 को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाशोधन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

## सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन

**1.14** सभी सा0क्षे0उ0 के वित्तीय परिणाम ***परिशिष्ट–2*** में वर्णित हैं। सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम ***परिशिष्ट–5*** एवं ***6*** में क्रमशः वर्णित हैं। सा0क्षे0उ0 के आवर्त्त तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों की अल्प भूमिका दर्शाता है। नीचे दी गयी सारणी में 2006–07 से 2011–12 की अवधि में कार्यशील सा0क्षे0उ0 का आवर्त्त तथा राज्य के जी0डी0पी0 का विवरण दिया गया है :

(राशिः ₹ करोड़ में)

| विवरण | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आवर्त्त[7] | 1,337.29 | 1,587.96 | 1,996.59 | 2,508.83 | 4,031.46 | 7,811.28 |
| राज्य का जी0डी0पी0[8] | 1,03,517 | 1,18,923 | 1,51,650 | 1,77,537 | 2,17,814 | 2,62,230 |
| राज्य के जी0डी0पी0 से आवर्त का प्रतिशत | 1.29 | 1.34 | 1.32 | 1.41 | 1.85 | 2.98 |

राज्य जी0डी0पी0 से सा0क्षे0उ0 के आवर्त्त का अनुपात 2006–07 से 2009–10 की अवधि में 1.29 प्रतिशत एवं 1.41 प्रतिशत के बीच स्थिर रहा एवं वर्ष 2009–10 के 1.41 प्रतिशत से बढकर वर्ष 2011–12 की अवधि में 2.98 प्रतिशत हो गया। इसका मुख्य कारण वर्ष 2011–12 की अवधि में सात[9] सा0क्षे0उ0 के आवर्त्त में हुई वृद्धि थी।

**1.15** 2006–07 से 2011–12 की अवधि में कार्यशील सा0क्षे0उ0 के द्वारा वहन की गयी हानि नीचे बार चार्ट में दी गयी है :

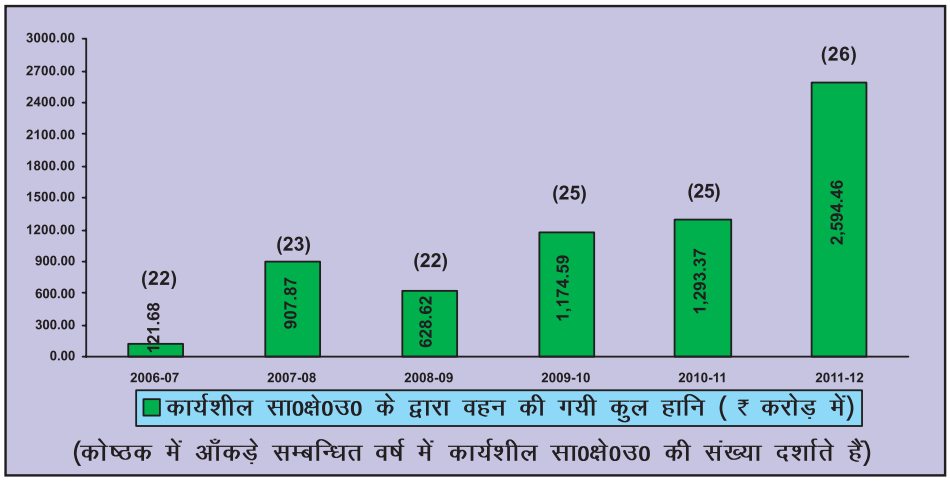


अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 26 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 14 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 149.70 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 10 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 2,744.16 करोड़ की हानि वहन की। शेष दो सा0क्षे0उ0 में, एक कम्पनी ने अपने प्रथम लेखे समर्पित किया

---

7 आवर्त्त 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

8 राज्य जी0डी0पी0 के आँकडे वर्त्तमान मूल्यों पर, 2009–10 (औपबन्धिक), 2010–11 (त्वरित अनुमान) एवं 2011–12 (अग्रिम अनुमान)।

9 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, सात सा0क्षे0उ0 यथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य भंड़ार निगम।

जिसमें केवल परिचालन पूर्व व्यय शामिल था एवं अन्य सा0क्षे0उ0[10] ने अभी तक (नवम्बर 2012) अपनी प्रथम लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया था। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 75.45 करोड़) एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 37.89 करोड़) मुख्य थे। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार उपर्युक्त में भारी हानि वहन करने वाला बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 2662.38 करोड़) सम्मिलित है।

**1.15.1** सा0क्षे0उ0 की हानियों के कारण मुख्यतः उनके वित्तीय प्रबन्धन, नियोजन, गतिविधियों के कार्यान्वयन, परिचालन एवं अनुश्रवण में त्रुटियाँ थे। सी0ए0जी0 के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सा0क्षे0उ0 ने ₹ 2,594.46 करोड़ की हानि वहन की तथा ₹ 21.48 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्षवार विवरण नीचे दिए गए हैं :

**(राशिः ₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | योग |
|---|---|---|---|---|
| शुद्ध हानि | 1,174.59 | 1,293.43 | 2,594.46 | 5,062.48 |
| सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियन्त्रणीय हानियाँ | 33.21 | 1,539.24 | 852.42 | 2,424.87 |
| निष्फलित निवेश | 3.45 | 28.94 | 21.48 | 53.87 |

**1.16** सी0ए0जी0 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित उपर्युक्त हानियाँ सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं। वास्तविक नियन्त्रणीय हानियाँ इससे कहीं अधिक हो सकती हैं। उपर्युक्त सारणी सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों में कारगर प्रबन्धन तथा नियंत्रण एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता इंगित करती है।

**1.17** राज्य के सा0क्षे0उ0 से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड निम्नांकित हैं:-

**(राशिः ₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत) | 17.68 | शून्य | 7.44 | शून्य | शून्य | शून्य[11] |
| ऋण | 8,012.25 | 8,152.92 | 8,614.53 | 9,037.60 | 10,240.33 | 11,741.11 |
| आवर्त्त[12] | 1,337.29 | 1,587.96 | 1,996.59 | 2,508.83 | 4,031.46 | 7,811.28 |
| ऋण/आवर्त्त अनुपात[13] | 5.99:1 | 5.13:1 | 4.33:1 | 3.60:1 | 2.54:1 | 1.50:1 |
| ब्याज का भुगतान | 613.25 | 924.16 | 918.70 | 991.72 | 1,243.70 | 1,573.88 |
| संचित हानियाँ | 1,686.94 | 2,956.74 | 3,593.15 | 4,617.88 | 7,212.86 | 9,819.49 |

**(उपरोक्त आँकड़े आवर्त्त को छोडकर, जो कार्यशील सा0क्षे0उ0 का है, समस्त सा0क्षे0उ0 के हैं)**

**1.18** 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, सभी सा0क्षे0उ0 में नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ 2006–07 के 17.68 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 15.79 प्रतिशत हो गया। तथापि आवर्त्त में वृद्धि के कारण ऋण/आवर्त्त अनुपात में सुधार होकर 2006–07 के 5.99:1 से 2011–12 में 1.50:1 हो गया।

**1.19** राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी, जिसके अन्तर्गत सभी सा0क्षे0उ0 को न्यूनतम लाभांश देना हो। 14 सा0क्षे0उ0 ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत

---

10 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

11 शून्य नियोजित पूँजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ इंगित करता है।

12 कार्यशील सा0क्षे0उ0 का आवर्त्त, उनके द्वारा 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

13 ऋण/ आवर्त्त अनुपात, ऋण का आवर्त्त से विभाजन को दर्शाता है।

लेखाओं के अनुसार ₹ 149.70 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 14 सा0क्षे0उ0 में से मात्र तीन कम्पनियाँ यथा, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड ने कुल ₹ 3.52 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया।

## लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये

**1.20** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619–बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर करना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। नीचे दी गयी सारणी कार्यशील सा0क्षे0उ0 द्वारा सितम्बर 2012 तक लेखाओं के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति के विवरण को दर्शाता है।

| क्रम संख्या | विवरण | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 |
| 2. | वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं की संख्या | 13 | 15 | 17 | 34 | 23[14] |
| 3. | बकाए लेखाओं की संख्या | 197 | 205 | 213 | 186 | 191[15] |
| 4. | प्रति सा0क्षे0उ0 का औसत बकाया (3/1) | 8-95 | 8-91 | 8-52 | 7-44 | 7-35 |
| 5. | बकाए लेखाओं वाले सा0क्षे0उ0 की संख्या | 22 | 23 | 25 | 23 | 25 |
| 6. | बकाए लेखाओं की सीमा (वर्ष) | 1 से 19 | 1 से 20 | 1 से 21 | 1 से 21 | 1 से 22 |

**1.21** 30 सितम्बर 2012 को 26 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से 25 सा0क्षे0उ0 के 191 लेखे बकाया थे। 25 कार्यशील सरकारी कम्पनियों के लेखे एक से 22 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे। सा0क्षे0उ0 के बकाये का औसत 2007–08 के 8.95 प्रति सा0क्षे0उ0 से आंशिक रूप से घटकर 2011–12 में 7.35 प्रति सा0क्षे0उ0 हो गया था। लेखाओं के बकाये के कारण, लेखाओं की तैयारी/प्रमाणीकरण एवं वार्षिक आम सभा आयोजित करने में विलम्ब तथा मानव संसाधन की कमी थे।

**1.22** उपरोक्त के अतिरिक्त, अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखाओं का अंतिमीकरण भी बकाए में थे। 31 मार्च 2012 तक 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से सात समापन की प्रक्रिया में थे। शेष 33 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में बकाए लेखाओं की सीमा 16 से 35 वर्षो तक था।

**1.23** जैसा कि ***परिशिष्ट–4*** में दिया गया है, राज्य सरकार ने 27 सा0क्षे0उ0 में ₹ 2,353.47 करोड़ (अंश पूँजी : ₹ 97.72 करोड़, ऋण : ₹ 1,900.57 करोड़, अनुदान : ₹ 91.76 करोड़ तथा अन्य : ₹ 263.42 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया था जिनकी लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था। अन्तिमीकृत लेखाओं तथा उनकी लेखापरीक्षा

---

14 उक्त आँकडों में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2010–11 के दो अन्तिमीकृत लेखे, जो 30 सितम्बर 2011 को बकाए में नहीं दर्शाए गए थे, सम्मिलित हैं।

15 बिहार एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बकाये को, इसके गैरसरकारी कम्पनी में परिवर्तित हो जाने के कारण, बकाये में सम्मिलित नहीं किया गया है।

के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किये गये निवेश एवं व्यय का लेखा उचित तरीके से किया गया था तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था वह प्राप्त हुआ अथवा नहीं। इस प्रकार सा0क्षे0उ0 में सरकार का निवेश राज्य की विधायिका की जाँच से वंचित रहा। साथ ही लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब का परिणाम कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे तथा सार्वजनिक कोष के क्षरण का जोखिम भी हो सकता है।

**1.24** प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करे तथा यह सुनिश्चित करे कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये गए हैं। प्रधान महालेखाकार द्वारा बकाया लेखाओं की स्थिति की सूचना सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों एवं सरकार के अधिकारियों को दी गई (अक्टूबर 2012)। इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप इन सा0क्षे0उ0 के नेट वर्थ का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं हो सका।

**1.25** उपरोक्त बकायों की स्थिति के सम्बन्ध में यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को लेखाओं के बकाये के शीघ्र समापन एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समय पर लेखाओं के अन्तिमीकरण हेतु प्रयास करना चाहिये।

## अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

**1.26** 31 मार्च 2012 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (कम्पनियाँ) थीं । इनमें से 31 मार्च 2012 को सात सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया के अंतर्गत थे। अकार्यशील सा0क्षे0उ0 को बन्द करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके अस्तित्व में बने रहने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होने वाली है। 2011–12 की अवधि में एक[16] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 ने वेतन, मजदूरी, स्थापना व्यय इत्यादि पर ₹ 0.12 करोड़ का व्यय किया।

**1.27** 31 मार्च 2012 को अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की बन्दी के चरण नीचे दिये गये हैं :

| क्रम संख्या | विवरण | कम्पनियाँ | सांविधिक निगमें | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या | 40 | – | 40 |
| 2. | उपरोक्त (1) में से: | | | |
| (अ) | न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त) | 3[17] | – | 3 |
| (ब) | बन्द, अर्थात् बन्द करने के आदेश/निर्देश निर्गत परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं | 4[18] | – | 4 |

**1.28** वर्ष 2011–12 के दौरान किसी सा0क्षे0उ0 का पूर्ण समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय आदेश द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे 12 वर्षों के अधिक समय से समापन प्रक्रिया में हैं। कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित है तथा इसका धारण/अनुसरण सशक्त होना चाहिए। यह

---

16 बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड।

17 कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड।

18 बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड।

अनुशंसा की जाती है कि, सरकार को, शेष 33 अकार्यशील सा0क्षे0उ0, जिनके अकार्यशील होने के बाद चालू रहने या ना रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, के समापन के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए।

## लेखाओं पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

**1.29** वर्ष 2011–12[19] में 12 कार्यशील कम्पनियों ने अपने 21 लेखाओं को प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किया। इनमें से नौ कम्पनियों के 12 लेखे अनुपूरक लेखा परीक्षा हेतु चयनित किये गये। सी0ए0जी0 के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सी0ए0जी0 की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के रख–रखाव की गुणवत्ता में वृहद सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभावों के विवरण नीचे दिए गए हैं :-

**(राशि : ₹ करोड़ में)**

| क्रम संख्या | विवरण | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लेखाओं की संख्या | राशि | लेखाओं की संख्या | राशि | लेखाओं की संख्या | राशि |
| 1. | लाभ में कमी | 2 | 1.71 | 4 | 5.59 | 6 | 64.86 |
| 2. | हानि में वृद्धि | 10 | 16.63 | 9 | 17.17 | 4 | 17.19 |
| 3. | महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण | 1 | 0.15 | शून्य | शून्य | 1 | 3.71 |

**1.30** वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्त सभी 21 लेखाओं पर गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिये गये। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों के अनुपालन पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वर्ष के दौरान नौ[20] लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 25 मामले पाये गये।

**1.31** 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, कम्पनियों के लेखे के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं :

### बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2010–11)

लेखांकन मानक – 9 के प्रावधान के विपरीत राज्य सरकार से प्राप्त कोष पर अर्जित ब्याज को कम्पनी के आय के रूप में सम्मिलित करने के फलस्वरूप ₹ 10.84 करोड़ से दायित्वों का अंतःप्रर्दशन एवं आय व लाभ का अधिप्रर्दशन हुआ।

---

19 अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 तक।

20 बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (2010–11), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (2008–09),(2009–10) एवं (2010–11), बिहार राज्य जल विद्युत–षक्ति निगम लिमिटेड (1997–98),(1998–99) एवं (1999–2000), बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (2004–05) एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2010–11)।

### बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (2010–11)

विशिष्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कम्पनी द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त कोष के जमा पर अर्जित ब्याज को कम्पनी के आय में सम्मिलित करने के फलस्वरूप ₹ 33.88 करोड़ से चालू दायित्वों का अंतःप्रदर्शन एवं आय तथा लाभ का अधिप्रदर्शन हुआ।

### बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (2009–10)

स्टेजिंग एवं शटरिंग में हुए ह्रास को प्रभारित नहीं/अंतःभारित किए जाने के फलस्वरूप ₹ 6.76 करोड़ से ह्रास का अंतःप्रदर्शन एवं लाभ का अधिप्रदर्शन हुआ।

### बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड (1998–99)

विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध लम्बी अवधि से समायोजन हेतु लंबित अग्रिम का लेखे में प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 7.82 करोड़ से ऋणों एवं अग्रिमों का अधिप्रदर्शन एवं हानि एवं प्रावधानों का अंतःप्रदर्शन हुआ।

**1.32** इसी प्रकार, 2011–12 के दौरान दो कार्यशील सांविधिक निगमों ने अपने दो लेखे प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किया। बिहार राज्य वित्तीय निगम एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के लेखे लेखापरीक्षा हेतु चयनित किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखाओं के संधारण की गुणवत्ता में वृहद सुधार की आवश्यकता इंगित करती है। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभाव की विवरणी नीचे दी गयी है :-

(राशि : ₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | विवरण | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लेखाओं की संख्या | राशि | लेखाओं की संख्या | राशि | लेखाओं की संख्या | राशि |
| 1. | लाभ में कमी | 1 | 1.74 | 2 | 17.34 | 1 | 0.33 |
| 2. | हानि में वृद्धि | 2 | 3,475.34 | 2 | 9,267.22 | 1 | 1,888.94 |
| 3. | महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण | 1 | 7.08 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4. | वर्गीकरण की त्रुटियाँ | 1 | 2.47 | 1 | 7.85 | शून्य | शून्य |

**1.33** सांविधिक निगमों के लेखे, जो वर्ष 2011–12 के दौरान अन्तिमीकृत किये गये, पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नवत् हैं :

### बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (2011–12)

- खपत के रूप में 68263.56 एम0टी0 कोयले की कमी को भारित नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 18.79 करोड़ से स्टॉकों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का अंतःप्रदर्शन हुआ।

- वर्ष 2006–07 से विलम्बित भुगतान अधिभार का लेखा उपार्जित आधार पर एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 2,771.06 करोड़ से देनदारों का अंतःप्रदर्शन, ₹ 1,221.80 करोड़ से प्रावधानों का अंतःप्रदर्शन एवं ₹ 1,549.26 करोड़ से हानि का अधिप्रदर्शन हुआ।

- वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 से सम्बन्धित स्रोत पर अग्रिम कर की कटौती की ₹ 12.87 करोड़ की राशि के काल बाधित दावे का प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 12.87 करोड़ से ऋणों एवं अग्रिमों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का अंतःप्रदर्शन हुआ।

- वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में सूखा प्रभावित गाँवों में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति के कारण बोर्ड को हुई हानि के विरुद्ध कृषि विभाग, बिहार सरकार से ₹ 382.82 करोड़ प्राप्य अर्थसाहाय्य को लेखा में नहीं लिए जाने के फलस्वरूप ₹ 382.82 करोड़ से राज्य सरकार से प्राप्य अर्थसाहाय्य का अंतःप्रदर्शन एवं हानि का अधिप्रदर्शन हुआ।

- पटना नगर निगम द्वारा होल्डिंग कर के रूप में बोर्ड से दावा किए गए ₹ 307.20 करोड़ के चालू दायित्व की राशि का प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 307.20 करोड़ से चालू दायित्वों एवं हानि का अंतःप्रदर्शन हुआ।

### बिहार राज्य वित्तीय निगम (2010–11)

मार्च 2011 में माफ कर दिए गए प्राप्य किराये का लेखांकन नहीं होने के फलस्वरूप, ₹ 0.25 करोड़ से प्राप्य किराये एवं लाभ का अधिप्रदर्शन हुआ।

**1.34** सांविधिक अंकेक्षकों (सनदी लेखाकारों) को सी0ए0जी0 के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अन्तर्गत, उनके द्वारा लेखापरीक्षा की जाने वाली, आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा सुधार योग्य क्षेत्रों की पहचान करनी होती है। सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा 2010–11 में 10 कम्पनियों[21] तथा 2011–12 में 12 कम्पनियों[22] के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

| क्रम संख्या | सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति | कम्पनियों की संख्या जिनमें अनुशंसाएँ की गयीं | *परिशिष्ट–2* में कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ |
|---|---|---|---|
| 1. | पुर्जे एवं भण्डार की न्यूनतम/अधिक सीमा तय न करना | 06 | अ–3, अ–8, अ–9, अ–12, अ–17, स–17. |
| 2. | कम्पनी के प्रकृति एवं व्यवसाय के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था का अभाव | 11 | अ–3, अ–6, अ–8, अ–9, अ–11, अ–12, अ–16, अ–17, अ–18, अ–20, स–17. |
| 3. | परिमाणात्मक विवरण, अवस्थिति, पहचान संख्या, क्रय की तिथि, अचल सम्पत्तियों के ह्रासित मूल्य सहित अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए समुचित अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना। | 10 | अ–3, अ–4, अ–6, अ–8, अ–9, अ–11, अ–16, अ–17, अ–20, स–17. |

[21] ***परिशिष्ट–2***, के अनुसार क्रम संख्या अ–3, अ–4, अ–8, अ–9, अ–11, अ–12, अ–13, अ–14, अ–17 एवं अ–18।

[22] ***परिशिष्ट–2***, के अनुसार क्रम संख्या अ–3, अ–4, अ–6, अ–8, अ–9, अ–11, अ–12, अ–16, अ–17, अ–18, अ–20 एवं स–17।

## लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

**1.35** 2011–12 के दौरान औचित्य लेखापरीक्षा में, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ₹ 4.82 करोड़ रुपये की वसूली के मामले इंगित किए गए थे, जिनमें से ₹ 2.71 करोड़ के मामले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा स्वीकार किये गये। वर्ष 2011–12 में, ₹ 2.54 करोड़ की राशि, जो 2010–11 से पहले की अवधि से सम्बन्धित थे, की वसूली की गयी।

## पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

**1.36** निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखे पर सी0ए0जी0 द्वारा निर्गत पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ0ले0प0प्र0) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को इंगित करती है।

| क्रम संख्या | सांविधिक निगम का नाम | वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका में प्रस्तुत की गई | वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गई | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | पृ0ले0प0प्र0का वर्ष | सरकार को निर्गत करने की तिथि | पृ0ले0प0प्र0को विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण |
| 1. | बिहार राज्य विद्युत बोर्ड | 2005-06 | 2006-07<br>2007-08<br>2008-09<br>2009-10<br>2010-11 | 26 मई 2009<br>15 अप्रैल 2010<br>29 अप्रैल 2011<br>26 सितम्बर 2011<br>01 मार्च 2012 | प्रतिवेदन को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने का कारण, सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। |
| 2. | बिहार राज्य भंडार निगम | 2007-08 | 2008-09 | 28 फरवरी 2011 | |
| 3. | बिहार राज्य वित्तीय निगम | 2009-10 | 2010-11 | 24 सितम्बर 2012 | |
| 4. | बिहार राज्य पथ परिवहन निगम | 1973-74 | 1974-75 से 2002-03 (29) विवरण<br>1991-92<br>1992-93<br>1993-94<br>1994-95<br>1995-96<br>1996-97<br>1997-98<br>1998-99<br>1999-00<br>2000-01<br>2001-02<br>2002-03 | <br><br>9 जून 1997<br>2 सितम्बर 1998<br>2 सितम्बर 1998<br>2 दिसम्बर 1998<br>18 अप्रैल 2000<br>19 मार्च 2004<br>19 अक्टूबर 2004<br>12 अप्रैल 2005<br>07 अक्टूबर 2005<br>24 सितम्बर 2007<br>26 अक्टूबर 2007<br>25 जनवरी 2010 | |

पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर वैधानिक नियंत्रण कमजोर होता है एवं सांविधिक निगम की जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। सरकार को पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये त्वरित कार्यवाही करनी चाहिये। पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने में विलम्ब के विषय को सी0ए0जी0 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के ध्यान में भी दिसम्बर 2010 में लाया गया। बिहार राज्य पथ

परिवहन निगम के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में कोई सुधार नहीं आया। प्रधान महालेखाकार द्वारा इस विषय को प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, के ध्यान में (मई 2011) में लाया गया तथा अद्यतन स्मार पत्र दिसम्बर 2012 में प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार को भेजा गया।

## सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

**1.37** राज्य सरकार द्वारा सा0क्षे0उ0 के विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना के लिए 2011–12 में कोई कदम नहीं उठाया गया। झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद, सभी सा0क्षे0उ0 की पुनर्संरचना की जानी थी। 12 सा0क्षे0उ0 की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ–साथ प्रबन्धन के बँटवारे का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया था। तथापि, इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच सा0क्षे0उ0[23] के सम्बन्ध में ही किया गया था (सितम्बर, 2012)।

## ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

**1.38** राज्य में बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) का गठन अप्रैल 2002 में विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17(1) के अधीन विद्युत टैरिफ का विवेकीकरण, राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से सम्बन्धित मसौदे पर अपनी राय देने और लाइसेन्स जारी करने के उद्देश्य से किया गया। वर्ष 2011–12 की अवधि में, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2012–13 के लिये टैरिफ आदेश एवं अक्टूबर 2009 से जनवरी 2012 तक की अवधि के लिये ईंधन एवं ऊर्जा क्रय लागत समायोजन शुल्क (एफ0पी0पी0सी0ए0) से सम्बन्धित आदेश/नियमन जारी किये। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2006–07 से 2009–10 के लिये कुल राजस्व आवश्यकता के सत्यापन, मानक निलामी दस्तावेज से सम्बन्धित मामले, बिहार बी0ई0आर0सी0 (शुल्क, दंड एवं प्रभार) नियमन, 2005 में संशोधन एवं वितीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमन, 2011 से सम्बन्धित आदेश/नियमन जारी किये।

**1.39** कार्य–क्षेत्र में चिन्हित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त प्रतिज्ञा के रुप में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्य सरकार के बीच एक समझ पत्र (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किये गये थे (सितम्बर 2001)। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब तक प्राप्त प्रगति का विवरण निम्नवत् है:

| क्रम सं0 | महत्वपूर्ण कदम | लक्ष्य प्राप्ति की समयावधि | मार्च 2012 तक उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 1. | राज्य विद्युत विनियामक आयोग | दिसम्बर, 2001 | राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना बिहार सरकार की विज्ञप्ति सं0 1284 दिनांक 15 अप्रैल 2002 द्वारा हुई है। आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए टैरिफ आदेश 30 मार्च 2012 को अधिसूचित किया गया जो 01 अप्रैल 2012 से लागू था। |
| 2. | ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम | अक्टूबर 2012 | ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य केन्द्रीय एजेंसी (एन0एच0पी0सी0 एवं पी0जी0सी0आई0एल0) एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निष्पादन किया जा रहा था। |

[23] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भंडार निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।

<table>
<tr><th>क्रम सं0</th><th>महत्वपूर्ण कदम</th><th>लक्ष्य प्राप्ति की समयावधि</th><th>मार्च 2012 तक उपलब्धि</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>22,484 गाँवों में से 17,791 (79.13 प्रतिशत) गाँव विद्युतीकृत किये जा चुके हैं (31 मार्च 2012)। विवरण निम्नवत् हैं:–
<table>
<tr><th>क्रियान्वयन एजेंसी</th><th>10 वीं एवं 11 वीं योजना (पुनरीक्षित) के अन्तर्गत कुल क्षेत्र</th><th>उपलब्धि (ऊर्जान्वित एवं अधिग्रहण किया हुआ)</th></tr>
<tr><td>पी0जी0सी0आई0एल0</td><td>15,960</td><td>14,387</td></tr>
<tr><td>एन0एच0पी0सी0</td><td>3,736</td><td>3,062</td></tr>
<tr><td>बी0एस0ई0बी0</td><td>2,788</td><td>342</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>22,484</td><td>17,791</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>बोर्ड का पुर्नसंगठन</td><td>दिसम्बर, 2001</td><td>बिहार सरकार ने पाँच नई कम्पनियाँ अर्थात्, बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पॉवर ट्रांसमीशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पॉवर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कम्पनी लिमिटेड एवं नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कम्पनी लिमिटेड, गठित करने का निर्णय (मार्च 2012) किया। इन कम्पनियों ने 01 नवम्बर 2012 से व्यवसाय करना शुरु कर दिया है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>11 के0भी0 के सभी वितरण फीडरों एवं सभी उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत मीटरीकृत करना</td><td>31 मार्च 2013</td><td>11 के0भी0 के वितरण फीडरों (84 प्रतिशत) में एवं 71 प्रतिशत उपभोक्ताओं के मीटर लगाने की प्रक्रिया (सितम्बर 2012 तक) पूर्ण।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>ऊर्जा लेखापरीक्षा</td><td>उपलब्ध नहीं</td><td>i. मेसर्स पावर फाइनांस कॉरपोरेशन, एक केन्द्रीय सा0क्षे0उ0, नें पुर्नगठित त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (आर0ए0पी0डी0आर0पी0) के अन्तर्गत मेसर्स प्रनत इंजिनियरिंग लिमिटेड को थर्ड पार्टी ऊर्जा लेखापरीक्षा हेतु नियुक्त किया (मई 2011)। इससे प्राप्त अनुभवों को गैर – ए0पी0डी0आर0पी0 क्षेत्र पर लागू किया जाएगा।<br>ii. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत 64 शहरों एवं ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत सात शहरों में रिंग फेंसिंग मीटर, प्रणाली मीटर एवं उपभोक्ता मीटर की स्थापना कर रहा था। 30 सितम्बर 2012 की स्थिति इस प्रकार है :
<table>
<tr><th></th><th>लक्ष्य</th><th>प्रतिस्थापन</th></tr>
<tr><td>रिंग फेंसिंग (33 के0भी0)</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>रिंग फेंसिंग (11 के0भी0)</td><td>164</td><td>164</td></tr>
<tr><td>प्रणाली मीटर (33 के0भी0)</td><td>131</td><td>131</td></tr>
<tr><td>प्रणाली मीटर (11 के0भी0)</td><td>272</td><td>272</td></tr>
<tr><td>उपभोक्ता मीटर (33 के0भी0)</td><td>20</td><td>17</td></tr>
<tr><td>उपभोक्ता मीटर (11 के0भी0)</td><td>238</td><td>238</td></tr>
<tr><td>वितरण फीडर मीटर</td><td>7,563</td><td>5,164</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| क्रम सं0 | महत्वपूर्ण कदम | लक्ष्य प्राप्ति की समयावधि | मार्च 2012 तक उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 6. | पारेषण एवं वितरण (पा. एवं वि.) हानि में कमी करते हुए 15.5 प्रतिशत तक लाना | उपलब्ध नहीं | वर्ष 2010–11 में बोर्ड का पारेषण एवं वितरण हानि 43.59 प्रतिशत था जो वर्ष 2011–12 के दौरान बढ़कर 44.05 प्रतिशत हो गया। |
| 7. | स्थायी संपत्तियों पर तीन प्रतिशत वापसी | मार्च, 2004 | बोर्ड स्थायी संपत्तियों पर तीन प्रतिशत की वापसी को वर्ष 2011–12 तक प्राप्त नहीं कर सका। |
| 8. | वितरण सूचना प्रबन्धन प्रणाली | उपलब्ध नहीं | वितरण एवं सूचना प्रबन्धन प्रणाली का क्रियान्वयन पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण प्रणाली (एस0सी0ए0डी0ए0), पटना द्वारा किया जा रहा था तथा शेष बिहार में यह पुर्नगठित त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था जो प्रगति पर था (सितम्बर 2012)। |
| 9. | न्यूनतम कृषि टैरिफ 50 पैसे प्रति इकाई | उपलब्ध नहीं | राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस0ई0आर0सी0) ने वर्ष 2012–13 के लिए सिंचाई एवं कृषि सेवाओं-I (आइ0ए0एस0–I) एवं सिंचाई एवं कृषि सेवाओं-II (आइ0ए0एस0–II) के लिए टैरिफ स्वीकृत की है, जो इस प्रकार है:–<br>**आइ0ए0एस0**–I **(अमीटरीकृत)**<br>ग्रामीण फीडर – ₹ 120/एच0पी0/महीना<br>शहरी फीडर – ₹ 145/एच0पी0/महीना<br>**आइ0ए0एस0**–I **(मीटरीकृत)**<br>ग्रामीण फीडर – ₹ 1.00/इकाई<br>शहरी फीडर – ₹ 1.50/ इकाई<br>**मासिक न्यूनतम प्रभार के अधीन**<br>ग्रामीण फीडर – ₹ 85/एच0पी0/महीना<br>शहरी फीडर – ₹ 130/एच0पी0/महीना<br>**एफ0पी0पी0सी0ए0 – लागू नहीं**<br>**आइ0ए0एस0**–II – **स्टेट ट्यूबवेल एवं एल0आई0 (अमीटरीकृत)**<br>ग्रामीण फीडर – ₹ 900/एच0पी0/महीना<br>शहरी फीडर – ₹ 1000/एच0पी0/महीना<br>**आइ0ए0एस0**–II **(मीटरीकृत)**<br>ग्रामीण फीडर – ₹ 6.00/इकाई<br>शहरी फीडर – ₹ 7.00/ इकाई<br>एफ0पी0पी0सी0ए0 प्रभार लागू नियमों के अनुसार अतिरिक्त भारित (सितम्बर 2012)। |